तेलीखेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा		नालीखेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
		–रेस्पोडेन्ट
–अपीलान्ट		

अपील अन्तर्गत धारा 72 रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 विरुद्ध आदेश उप पंजीयक भीलवाड़ा दिनांक 29.11.2017

प्रकरण संख्या /2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.07.2018	प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वकील अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18.07.2018 को पेश हो। जिला कलेक्टर भीलवाड़ा	
18/7/2018	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी जी दीगर कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 01-08-2018 को पेश हो। अप्रा०लेज्०का गोपिया अशाहा आदेश से	
1-8-2018	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी ने उपस्थित होकर शासन सचिव, वित्त विभाग (कर अनुभाग) की जारी अधिसूचना दिनांक 12 फरवरी, 2018 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील में सुनवाई हेतु उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक भीलवाड़ा वृत्त को रजिस्ट्रार नियुक्त कर दिया है। अतः उक्त अपील को सुनवाई हेतु उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक वृत्त भीलवाड़ा को भिजवाना फरमावें। प्रस्तुत अधिसूचना दिनांक 12.2.2018	

के अनुसार पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत
प्रस्तुत अपील में सुनवाई के अधिकार
उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक
वृत्त भीलवाड़ा को दिए जाने से अपील
सुनवाई हेतु स्थानान्तरित की जावे।
पत्रावली नियमानुसार प्रेषित कर दी जावे/
पत्रावली नियमानुसार कम हो।

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा